

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 2025

सा.का.नि. ----(अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 05/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांकित 16 जनवरी, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 39 (अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के -

- (i) पृष्ठ 6, पंक्ति 13 में, "धारा 6 की उप-धारा (1), (3) और (4)" के स्थान पर "धारा 6 की उप-धारा (1)" पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ 7, पंक्ति 4 में, "(खंड 4(xxxvi) देखें)" के स्थान पर "(खंड 5(xxxvi) देखें)" पढ़ें;
- (iii) पृष्ठ 7, पंक्ति 28 में, "(खंड 4(xxxvi) देखें)" के स्थान पर "(खंड 5(xxxvi) देखें)" पढ़ें;
- (iv) पृष्ठ 8, पंक्ति 6 में, "(खंड 4(xxxvi) देखें)" के स्थान पर "(खंड 5(xxxvi) देखें)" पढ़ें।

[फा.सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

(मो. आदिल अशरफ)  
अवर सचिव, भारत सरकार